राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 9(253)परि/एसटीए/आरटीए/98–99 पार्ट 150855 जयपुर, दिनांकः 18/6/14

कार्यालय आदेश संख्या 17/2014

विषयः– RTA प्रस्ताव संख्या 01/2014 के संबंध में स्पष्टीकरण।

परिवहन यानों के परमिटधारियों (वाहन स्वामियों) द्वारा किए जाने वाले परमिट शर्तो की अवहेलना के अपराध को शमन करने की शक्तियाँ मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार अथवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार में ही निहित है।

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रस्ताव संख्या 6/2013 दिनांक 28.01.2013 द्वारा परिवहन विभाग के परिवहन उप–निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारियों तक प्रत्यायोजन किया गया है जिसमें:–

(a) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192A में वर्णित शर्तो के उल्लंघन के अपराध,
(b) यात्री वाहनों मे निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन के अपराध,
(c) भार वाहनों में अनाधिकृत रूप से यात्रियों के परिवहन के अपराध

को एक निश्चित राशि के विरूद्ध शमन के निर्देश दिए गए है।

उक्त प्रस्ताव संख्या 6/2013 में संशोधन करते हुए प्रस्ताव संख्या 01/2014 दिनांक 04.06.2014 को जारी किया गया है जिसमें एक अतिरिक्त खण्ड "d" जोडते हुए –

भार वाहनों में, वाहन के परिमाप (लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई) से अधिक परिमाप के माल को लादकर परिवहन करने के अपराध को शमन करने हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन परिवहन विभाग के उप निरीक्षक से अनिम्न स्तर के अधिकारियों को किया गया है।

यद्यपि उक्त प्रस्ताव 01/2014 दिनांक 04.06.2014 के साथ साथ एक आदेश क्रमांक एफ 9(253)परि/एसटीए/आरटीए/98–99 पार्ट/49929 दिनांक 06.06.2014 को जारी किया जा चुका है तथापि कतिपय प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव संख्या 01/2014 में वर्णित अपराधों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अपराधों, यथा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रावधानों में निर्धारित अधिकतम लम्बाई, चौडाई, ऊँचाई से अधिक परिमाप की बॉडी के भार वाहनों के अपराध भी प्रस्ताव

संख्या 01/2014 द्वारा निर्धारित प्रशमन राशि के विरूद्ध शमन किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। उक्त कृत्य बिल्कुल अनुचित व नियमों के विरूद्ध है।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि यदि भार वाहनों में कोई सामान, इस प्रकार लाद कर ले जावे कि सामान या उसका कोई हिस्सा लम्बाई/चौडाई/ऊँचाई में वाहन से बाहर निकल रहा हो तो ऐसे अपराध को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 93 (8) का उल्लंघन होने से, सडक सुरक्षा की दृष्टि से आमजन के लिए अहितकर होने के कारण मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 84 (a) में वर्णित परमिट शर्तो की अवहेलना मानते हुए ऐसे अपराध को धारा 86 (5) के तहत, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव संख्या 01/2014 में निर्धारित प्रशमन राशि के विरूद्ध शमन किया जावे।

उक्त प्रकार के अपराध के अतिरिक्त अपराधों का प्रशमन पूर्व की भांति यथावत किया जावे।

18/6/14

संयुक्त परिवहन आयुक्त (कर)

क्रमांकः एफ 9(253)परि/एसटीए/आरटीए/98–99 पार्ट 15-256-62 जयपुर, दिनांकः 18/6/15

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राज. जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त जोन।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को परिवहन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

18/6

संयुक्त परिवहन आयुक्त (कर)